<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 34/2021 **दायर दिनांकः— 18.08.2021**

उनवान

1. रामजानकी बाई उर्फ ज्याना बाई पुत्री भैरू पत्नि लटूरलाल जाति चमार निवासी हनुवतखेडा तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0)

प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थिति :—

प्रार्थीयाः— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

अप्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाकः 27/09/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थिया ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थिया के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल बहलावन तहसील अटरू में खाता संख्या 81 कुल किता 4 का रकबा 1.07 है0 भूमि स्थित दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थिया को ग्राम बहलावन में रामजानकी उर्फ ज्याना बाई के नाम से जाना जाता था लेकिन पिता के स्वर्गवास के पश्चात पटवारी हल्का ने नामान्तरण दर्ज करते वक्त 2 नाम होने से ज्याना बाई के नाम से नामान्तरण दर्ज कर दिया। प्रार्थिया का आधार कार्ड व अन्य रिकार्ड रामजानकी बाई के होने से प्रार्थिया को भूमि का विकास करवाने व अन्य कार्यो में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जिसे प्रार्थिया दुरूस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने की आवश्यकता है। प्रार्थिया ने दिनांक 17.08.2021 को श्रीमान तहसीलदार साहब से राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया तो श्रीमान तहसीलदार साहब ने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत दी। इसलिए माननीय न्यायाालय में यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थिया के आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आई डी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:58:05 IST
Reason: SelfAttested

एवं बैंक खातों में तथा पंजीकृत दस्तावेज में प्रार्थिया का नाम रामजानकी बाई दर्ज है। प्रार्थिया इस अनुसार प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि में हो रही त्रुटियों को दुरूस्त करवाने की अधिकारणी है। बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाया जाना संभव नहीं है। अस्तु माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उसे अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम बहलावन तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्यायशुल्क पर प्रार्थना पत्र पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थिया का नाम रामजानकी बाई उर्फ ज्याना बाई पुत्री भैरू बाद दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत pw 1 का शपथ पत्र पेश किया तथा रिकार्ड प्रदर्शित करवाया गया।

अभिभाषक प्रार्थीया की एक तरफा बहस सुनी । अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि ग्राम एवं माल बहलावन तहसील अटरू में खाता संख्या 81 कुल किता 4 का रकबा 1.07 है0 में प्रार्थिया का नाम नामान्तकरण दर्ज करते समय ज्याना बाई दर्ज कर दिया है जिसे दुरूस्त कर रामजानकी बाई उर्फ ज्याना बाई पुत्री भैरू किया जावे। प्रार्थीया दस्तावेजात के आधार पर रिकार्ड में दुरूस्ती करवाने की अधिकारी है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया जमाबंदी 2073–2076 ग्राम बहलावन की खाता संख्या 81 किता 4 रकबा 1.07 है0 भूमि में प्रार्थिया का नाम ज्यानाबाई पुत्री भैरू दर्ज है। अन्य दस्तावेज आधार कार्ड में प्रार्थिया का नाम रामजानकी बाई तथा राशन कार्ड, जन आधार कार्ड में प्रार्थिया का नाम रामजानकी दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:58:05 IST
Reason: SelfAttested

अतः रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर प्रार्थिया का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र धारा 136 स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम बहलावन की खाता संख्या 81 किता 4 रकबा 1.07 है0 में ज्याना बाई पुत्री भैरू के स्थान पर रामजानकी बाई उर्फ ज्याना बाई पुत्री भैरू राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है।

तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:58:05 IST
Reason: SelfAttested